प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'ग्यारह'

प्रश्न सं. [क्र. 2117]

[27/3/2018] परिशिष्ट - एक

**मध्य प्रदेश शासन**
**स्कूल शिक्षा विभाग**
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

क्रमांक एफ 44-30/20-2/2017 भोपाल, दिनांक 13/2/2018

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण
म0प्र0 भोपाल ।

**विषय:-प्रदेश में नये स्कूल खोलने /उन्नयन करने संबंधी मापदण्ड निर्धारण बावत ।**

-0-

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-12/20-2/2006 दिनॉक 25.08.2006 को अधिक्रमित करते हुये मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनॉक 03 जनवरी 2018 के अनुक्रम मे ग्रामीण क्षेत्रों में नये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने/उन्नयन किये जाने हेतु मापदण्ड संलग्न अनुसार निर्धारित किये जाते है।

संलग्न-परिशिष्ट एक

13/2/18
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 44-30/20-2/2018 भोपाल, दिनांक 13-2-2018

प्रतिलिपि:-

1- निज सचिव मान.मंत्री/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन।
2- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
3- अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
4- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल।

13/2/18
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
शाखा-3

परिशिष्ट–1

## ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए नये मापदण्ड

### (क) हाई स्कूल

**अनिवार्यता**

1. बसाहट से 5 कि.मी. की परिधि में हाई स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक माध्यमिक शालाओं की कक्षा 8 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 70 से कम न होना ।
3. उन्नत की जाने वाली शाला में कक्षा 8 वीं में नामांकन न्यूनतम 30 होना ।

**प्राथमिकता**

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रूपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । ( इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी । )

### (ख) हायर सेकेण्डरी स्कूल के मापदण्ड

अनिवार्यता

1. बसाहट से 8 कि.मी. की परिधि में हायर सेकेण्डरी स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक हाई स्कूल की कक्षा 10 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 100 से कम न होना।
3. उन्नत की जाने वाली शाला में कक्षा 10 वीं में नामांकन न्यूनतम 30 होना ।

**प्राथमिकता**

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है।
2. रूपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । ( इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी । )

टीप/– किसी शर्त विशेष को विशेष परिस्थितियों में शिथिल करने का अधिकार विभाग को होगा ।

13/8/18

उप सचिव,
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग